



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 595 राँची, बुधवार,

18 सितम्बर, 2024 (ई०)

अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।

अधिसूचना

13 अगस्त, 2024

संख्या-8/झा०रा०सुन्नी व०बो०-03/2020-2168--वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) तथा 14(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में निम्न सदस्यों का मनोनयन किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	कोटि
1	डॉ० सरफराज अहमद, माननीय सांसद, राज्यसभा।	सदस्य (मा० सांसद, राज्यसभा)
2	मो० निजामुद्दीन अंसारी, माननीय पूर्व विधायक राजधनवार, गिरिडीह।	सदस्य (माननीय पूर्व विधायक)
3	ए० के० रशीदी, अधिवक्ता, स्टेट बार काउंसिल	सदस्य (अधिवक्ता, स्टेट बार काउंसिल)

4	महबुब आलम अंसारी, मोतवली, मुंशी मोहल्ला मस्जिद जमशेदपुर।	सदस्य (मुतवल्ली वक्फ सम्पत्ति)
5	मो० फैजी, पता-तिवारी स्ट्रीट, मेन रोड	सदस्य (मुतवल्ली वक्फ सम्पत्ति)
6	इबरार अहमद, पता-3 डी, हेरा अपार्टमेंट, बिहाइंड पंजाब स्वीट हाउस, मेन रोड, राँची	सदस्य (सुन्नी मुस्लिम विद्वान)
7	सैयद तहजीबुल हसन रिजवी, पता-खतीब, मस्जिद जाफरया, अंसार नगर, चर्च रोड, पो०-लोअर बाजार, थाना-लोअर बाजार, जिला-राँची	सदस्य (शिया मुस्लिम विद्वान)
8	सकील अख्तर, (समाजसेवी), पता-जलवा बाद, पो०+थाना-कोडरमा	सदस्य (समाजसेवी)
9	श्री आसिफ हसन, संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।	सदस्य

3- इस बोर्ड का क्षेत्राधिकारी सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

4- बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पाँच (05) वर्षों का होगा।

5- यह बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित अधिनियम, 2013 एवं झारखण्ड वक्फ अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर बाड़ा,
सरकार के विशेष सचिव।
